राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

सूज्या बनाम छीतर

तारीख हुक्म	2145/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति पेश किया, जिस प[र] पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति हेतु दिनांक 07/04/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
7/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रर्थन पत्र प्रारम्भिक आपत्ति हेतु प्रस्तुत हुई। पक्षकारान की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किये जाने से प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा उद्धा[रित] की गयी आपत्ति उचित प्रतीत होती है कि अपीलार्थी द्वारा जिस आदेश को अपील में चुनौती दी गयी है वह केवल मात्र आदेशिका की श्रेणी में आता है, न की ऐसी आदेशिका को आदेश की संज्ञा में रखा जा सकता है। कानूनन ऐसी आदेशिका के विरुद्ध अपील का संधारणीय नही मन जा सकता। अत: प्रार्थी/रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार किया जकात अपील अपीलार्थी इसी स्तर पर संधारणीय नही होने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होक[र] बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	